रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072026-274892
CG-DL-E-28072026-274892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3995]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2026/श्रावण 6, 1948
No. 3995]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2026/SHRAVAN 6, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

का.आ.4165(अ).— केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 के खंड 7 और खंड 16 के साथ पठित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए किसी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और देश भर में किसी भी समय पर और किसी भी स्थान में 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा;

परंतु कि इस आदेश की कोई भी बात, चीनी के स्टॉक के भंडारण या उसे रखने को लेकर,-

(i) सरकारी खाते पर लागू नहीं होगी; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट डीलरों या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए स्टॉक के भंडारण पर लागू नहीं होगी।

2. राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि स्टॉक के भंडारण की सीमा तथा आवर्त अवधि इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार सीमा या अवधि से उच्चतर नहीं होगी, उनके अपने राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों मे स्टॉक के भंडारण तथा आवर्त सीमाओं को नियत करेंगी |

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्टॉक भंडारण की अवधि की गणना के लिए, डीलर द्वारा स्टॉक प्राप्त होने की तारीख को भी शामिल किया जाएगा।

3 .सभी डीलरों के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना और नियमित रूप से अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

4. यह आदेश तारीख 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत होगा और तारीख 30 नवंबर, 2026 तक प्रवृत रहेगा।

[फा. सं. 1(2)/2026-एसपी-I]

अश्विनी श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 28th July 2026

S.O. 4165(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clauses 7 and 16 of the Sugar (Control) Order, 2025, the Central Government hereby directs that no dealer of sugar shall hold any stock for a period exceeding thirty days from the date of receipt of such stock and shall not keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 4000 quintals;

Provided that nothing in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar, -

(i) on Government account; or

(ii) by the dealers nominated by the State Government or an officer authorised by it to hold stock for distribution through fair price shops under the Public Distribution System.

2. The State Governments or Union territory Administrations shall fix the stock holding and turn over limits in their respective States or Union territories Administrations subject to the condition that the stock holding limit and the turn over period shall not be higher than the limit or period as specified herein.

Explanation. —For the purpose of this notification for counting the period of holding of the stock, the date on which any stock is received by the dealer shall be included.

3. It shall be mandatory for all dealers to declare and regularly update the stock position of sugar on the portal i.e. https://foodstock.dfpd.gov.in/ of the Department of Food and Public Distribution.

4. This Order shall come into force with effect on the 1st day of August, 2026 and shall remain in force upto the 30th day of November, 2026.

[F. No. 1(2)/2026-SP-I]

ASHWINI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.28 16:12:51 +05'30'